सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —20 / 2013 अपील (RCMS/2013/00009)
पंजीयन दिनांक —15.04.2013
निर्णय दिनांक —06.11.2018

1. श्री अकबर अली पिता फजल हुसैन जी राजनगरवाला, निवासी उदयपुर।
2. सुश्री सईदा पुत्री असगर अली राजनगर, निवासी बोहरावाडी, उदयपुर।
3. श्री सैफूदीन पिता मोहम्मद हुसैन जी शेख लारजीवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
4. श्री बरहानउदीन पिता सेफूदीन जी सलूम्बर वाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
5. श्रीमती रशीदा पत्नि श्री मन्सूर अली अमरवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
6. श्रीमती खदीजा पत्नि श्री जोयब अली पीपावाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
7. श्रीमती शरीफा पत्नि श्री तैययब अली पीपावाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
8. श्री शब्बीर हुसैन पिता श्री अकबर अली ईडरवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
9. श्री आबिद अली पिता श्री सफदर अली पचीसावाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
10. श्रीमती शिरिन पत्नि मोहम्मद हुसैन सैफी स्टोरवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
11. श्रीमती सकीना पत्नि श्री आबिद अली पचीसावाला, निवासी हाथीपोल, उदयपुर।
12. श्री मोईज पिता कमरूद्दीन भाई मावली वाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
13. श्रीमती बतुलबाई पत्नि श्री असगर अली मोठागांव वाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
14. श्री शब्बीर हुसैन पिता श्री तैययब अली दमावाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
15. श्री आशिक अली पिता मोहम्मद हुसैन फ्लेक्सवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।
16. श्रीमती अमीना पत्नि श्री जाकीर अली टीनवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।

17. श्रीमती नफीसा पत्नि श्री सैफुदीन सलोठावाला, निवासी चमनपुरा, उदयपुर।

18. श्रीमती सलमा बाई पत्नि श्री कमरूद्दीन टीनवाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।

19. श्री आशिक अली पिता श्री शरफा अली आरवी, निवासी वजीरपुरा, उदयपुर।

20. श्री अहमद अली पिता श्री इब्राहिम जी बिस्कीटवाला, निवासी बोहरवाड़ी, उदयपुर।

21. श्रीमती हमीदा पत्नि श्री अब्दूल तैययब बोहरा, निवासी बोहरवाड़ी, उदयपुर।

22. श्री तैययब अली पिता अकबर अली गुगरवाला, निवासी बोहरवाड़ी, उदयपुर।

23. श्रीमती जेहराबाई पत्नि ईब्राहीम भण्डीवाला, निवासी बोहरवाड़ी, उदयपुर।

24. श्री अब्बास अली पिता मोहम्मद हुसैन हकीम, निवासी वजीरपुरा, उदयपुर।

25. श्री असगर अली हबीब पिता गुलाम अब्बास इब्बीबुला जी वाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।

26. श्री इमरान अली पिता श्री फतहअली राजनगरवाला, निवासी मोईयतपुरा, उदयपुर।

27. श्री शब्बीर अली पिता इब्राहीम गुगरवाला, निवासी बोहरवाड़ी, उदयपुर।

उपरोक्त सभी अपीलान्टगणों की ओर से उनके अधिकारग्रहिता श्री खुर्शिद हुसैन पटवा पिता अकबर अली, निवासी अकबर विला, नीमच खेड़ा, देवाली, उदयपुर।

– अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री दिलीप पिता श्री भंवरलाल कहार भोई, निवासी भोईवाडा, उदयपुर।

2. श्री मीठालाल पिता श्री अम्बालाल कहार भोई, निवासी भोईवाडा, उदयपुर।

3. श्री नाथुलाल पिता श्री अम्बालाल कहार भोई, निवासी भोईवाडा, उदयपुर।

4. श्री घनश्याम जीनगर पिता श्री शंकरलाल जीनगर, निवासी भोईवाडा, उदयपुर।

5. श्री किशनलाल पिता श्री किशोर कहार भोई, निवासी शोभागपुरा, उदयपुर।

6. श्री कैलाशचन्द्र पिता जगदीश, कुसुम पिता जगदीश, उषा पिता जगदीश जरिये संरक्षक श्रीमती अम्बादेवी पत्नि स्व. श्री जगदीश चन्द्र माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

7. श्रीमती अम्बादेवी पत्नि श्री जगदीशचन्द्र माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
8. श्री नन्दलाल माली पिता श्री डालचन्द माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
9. श्रीमती चम्पादेवी माली पत्नि श्री नन्दलाल माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
10. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री गणेशलाल माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
11. श्री चन्द्रशेखर माली पिता श्री महेन्द्र लाल माली, निवासी नयापुरा, देहलीगेट, उदयपुर।
12. श्रीमती सुन्दरबाई माली पत्नि श्री रामलाल माली, निवासी अशोकनगर, उदयपुर।
13. श्री भगवान सिंह पिता श्री नरपत सिंह राजपूत, निवासी उदयपुर।
14. श्री नाथूलाल कुम्हार पिता श्री डालचन्द कूम्हार, निवासी ग्लास फेक्ट्री चौराहा, उदयपुर।
15. श्रीमती सीता बाई देतवार पत्नि श्री रामचन्द्र देतवार, निवासी देवाली, फतेहपुरा, उदयपुर।
16. श्री लक्ष्मीलाल चौधरी पिता श्री चुन्नीलाल चौधरी, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
17. श्रीमती फरीदा बेगम पत्नि श्री सिराज हुसैन, निवासी काजीवाड़ा, उदयपुर।
18. श्रीमती अन्जुम सम्मद पत्नि श्री सैयद दिलाबर काजमी, निवासी भुपालपुरा, उदयपुर।
19. श्री शहनाज खां पिता श्री जगदाद खां, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
20. श्रीमती कमला देवी मीणा पत्नि श्री भंवर मीणा, निवासी कालका माता रोड़, उदयपुर।
21. श्रीमती भागवन्ती देवी पत्नि श्री त्रिभुवन माली, निवासी अम्बामाता स्कीम, उदयपुर।
22. श्री महेन्द्र प्रताप पिता श्री धुलीलाल सेवारिया (नाई), निवासी 34 कलश मार्ग, उदयपुर।

23. श्री कन्हैयालाल पिता श्री शान्तिलाल जैन, निवासी गोगावत वाड़ी, उदयपुर।
24. श्री पद्मकुमार जैन पिता श्री माधवलाल जैन, निवासी बड़ी होली, उदयपुर।
25. श्री महावीर प्रसाद जैन पिता श्री माधवलाल जैन, निवासी बड़ी होली, उदयपुर।
26. श्री विनोद कुमार पिता श्री देवीलाल जैन, निवासी दरौली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
27. श्रीमती मुन्नादेवी पत्नि श्री महावीर प्रसाद माली, निवासी बड़ी होली, उदयपुर।
28. श्री रोशनलाल पिता श्री मोड़ीलाल नाई, निवासी मेडिकल हास्पीटल गर्ल्स, उदयपुर।
29. श्री हेमराज पिता श्री होलाल माली, निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
30. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नि श्री विष्णु माली, निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।
31. श्री ललित पिता श्री धनराज माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।
32. श्री गणेशलाल पिता श्री रामलाल माली, निवासी बड़ा भोईवाड़ा, उदयपुर।
33. श्रीमती दयावन्ती माली पत्नि श्री लक्ष्मीलाल माली, निवासी बड़ा भोईवाड़ा, उदयपुर।
34. श्री रामचन्द्र पिता श्री बालुराम माली, निवासी बड़ा भोईवाड़ा, उदयपुर।
35. श्रीमती जुमाबाई पत्नि श्री मीठालाल माली, निवासी बड़ा भोईवाड़ा, उदयपुर।
36. श्रीमती नारायणी देवी पत्नि श्री मोतीलाल माली, निवासी केलवा, जिला राजसमन्द।
37. श्री रामचन्द्र पिता मेघराज कुमावत, निवासी गणेशनगर, उदयपुर।
38. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि नन्दकिशोर, निवासी हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर–5, उदयपुर।
39. श्री राजेन्द्र पिता धुलीलाल नाई, निवासी 34 कलश मार्ग, उदयपुर।
40. श्री भुपेन्द्र पिता श्री हीरालाल माली, निवासी राज भोईवाड़ा, उदयपुर।
41. श्री कमल कुमार पिता श्री परसराम माली, निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।
42. श्री नारू पिता श्री खेमराज कहार (भोई), निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।
43. निर्मलादेवी पिता श्री रामनारायण माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

44. श्रीमती प्रेमादेवी पिता श्यामसुन्दर नाई, निवासी उदयपुर।

45. श्री प्यारेलाल पिता श्री रघुनाथ, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

46. श्री अम्बालाल पिता श्री गणेशलाल कहार भोई, निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।

47. श्री सुभाषचन्द्र पिता श्री गणेशलाल कहार (भोई), निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।

48. श्री गेहरीलाल पिता श्री गणेशलाल कहार (भोई), निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।

49. श्री नीलकण्ठ पिता श्री मोहनलाल कहार (भोई), निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।

50. श्री मोहनलाल पिता श्री सोहनलाल कहार (भोई), निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।

51. श्री विजयकुमार पिता श्री ख्यालीलाल खोड़पिया, निवासी जैन मंदिर के पास, उदयपुर।

52. श्री राकेश त्यागी पत्नि श्री राधेश्याम त्यागी, निवासी 87, उत्तरी आयड़, उदयपुर।

53. श्री पुरूषोत्तम पिता श्री यमुनालाल पालीवाल, निवासी ई–ब्लॉक, कालका माता रोड़, गणेशनगर, उदयपुर।

54. श्री धनश्याम जीनगर पिता श्री शंकरलाल जीनगर, निवासी भोईवाड़ा, उदयपुर।

55. श्रीमती केशरदेवी दायमा पत्नि श्री लहरीलाल दाहिमा (खटीक), निवासी दक्षिणी आयड़, उदयपुर।

56. श्रीमती संतोष बाई पत्नि श्री बंशीलाल पालीवाल, निवासी कसारों की ओल, कलश मार्ग, उदयपुर।

57. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि श्री जमनालाल पालीवाल, निवासी पीपली अहीरान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

58. श्रीमती बसंतीबाई पत्नि श्री रामचन्द्र पालीवाल, निवासी पीपली अहीरान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

59. श्री सम्पतलाल पिता श्री देवीलाल पुरोहित, निवासी बलवन्त भवन रेल्वे स्टेशन, आमेट, जिला राजसमन्द।

60. श्री जगदीश पिता श्री नानालाल पालीवाल, निवासी नेगड़िया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

61. श्री हरिशंकर पिता श्री भूरीलाल पालीवाल, निवासी नेगड़िया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

62. श्री मनोहरलाल पिता श्री लक्ष्मीलाल पालीवाला, निवासी 118, पिछोली, उदयपुर।

63. सुश्री निधि पुत्री सुरेन्द्र सिंह राणावत, संरक्षक सुरेन्द्र सिंह राणावत, निवासी 85, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

64. श्रीमती मोहनबाई पिता श्री नारायणलाल पालीवाल, निवासी कालका माता मन्दिर के पास, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

65. श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री पुरूषोत्तम नारायण भारद्वाज, निवासी आगरा–यूपी।

66. श्री चुन्नीलाल पिता श्री बंशीलाल नागदा, निवासी गांव रामा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

67. श्री गोविन्दलाल पिता श्री चतुर्भुज पालीवाल, निवासी सुन्दरवास, उदयपुर।

68. श्री बाबुलाल पिता श्री सीताराम खटीक, निवासी राजसमन्द।

69. श्री नारूलाल पिता श्री मोतीलाल रेगर, निवासी ताणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़।

70. श्री किशोर पिता श्री रामा अहीर, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

71. श्रीमती कमलादेवी पत्नि श्री जमनालाल पुरोहित (पालीवाल), निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

72. सोसरदेवी पत्नि श्री छगनलाल दाहिमा, निवासी खटीकवाड़ा, आयड़, उदयपुर।

73. श्रीमती किरण देवी पत्नि श्री मनोज कुमार तम्बोली, निवासी 198, मुल्लातलाई, उदयपुर।

74. श्रीमती दूर्गा देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार तम्बोली, निवासी 198, मुल्लातलाई, उदयपुर।

75. श्री जादवचन्द पिता निरंजन मुखर्जी, निवासी बोहरागणेश जी, उदयपुर।

76. श्री सीताराम पिता रविन्द्रनाथ गांगुली, निवासी कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

77. श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री वरदीचन्द्र जोशी, निवासी श्रीनाथ जी की हवेली, उदयपुर।

78. श्री प्रतापसिंह पिता श्री रणजीत सिंह मौजावत (राजपूत), निवासी 8 शारदा मार्ग, बोहरागणेश जी, उदयपुर।

79. श्रीमती नर्बदा बाई पत्नि श्री अर्जुनलाल जोशी, निवासी छोटी जोशियो की भागल, जसवन्तगढ़, तहसील गोगुन्दा, उदयपुर।

80. श्रीमती कमला बाई पत्नि रेवाशंकर वगावत, निवासी चटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

81. श्री मोहनलाल पिता श्री फतहलाल ब्राहम्ण (पालीवाल), निवासी कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

82. श्रीमती सरस्वती देवी पिता रूपलाल ब्राहम्ण (पालीवाल) श्री हिमांशु पालीवाल पिता दिनेशचन्द्र पालीवाल, निवासी कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

83. श्रीमती शारदादेवी पत्नि श्री रामचन्द्र प्रजापत, निवासी एम.बी. कॉलेज के सामने, कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर।

84. श्री हेमन्त कुमार पिता श्री देवीलाल जी निवासी युनिवर्सिटी रोड़, गणेशनगर, उदयपुर।

85. श्री सोहनलाल पिता श्री नानालाल ब्राहम्ण (पालीवाल), निवासी कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

86. श्रीमती चन्द्रकला पिता श्री लक्ष्मीलाल खटीक (दायमा), निवासी उदयपुर।

87. श्री विजयकुमार पिता श्री ख्यालीलाल खोड़पीया, निवासी जैन मन्दिर के पास, भुवाणा, उदयपुर।

88. श्री पन्नालाल पिता श्री नाथुलाल कुलमी, निवासी राजपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

89. श्री शंकरलाल पिता श्री किशनलाल सालवी, निवासी कालका माता रोड़, उदयपुर।

90. श्री परवेज रशीद कुरेशी पिता अब्दुल रशीद कुरैशी, निवासी चोखला बाजार, उदयपुर।

91. श्री जावेद रशीद कुरेशी पिता अब्दुल रशीद कुरैशी, निवासी चोखला बाजार, उदयपुर।

92. श्री हकराम रशीद कुरेशी पिता अब्दुल रशीद कुरैशी, निवासी चोखला बाजार, उदयपुर।

93. श्री विजय कुमार शर्मा पिता श्री राम शर्मा, निवासी 33 सीतामार्ग, उदयपुर।

94. श्रीमती सुहीन्त तारा पिता श्री राम शर्मा, निवासी 33 सीतामार्ग, उदयपुर।

95. श्री नरेन्द्र सिंह मुर्डिया पिता श्री राजसिंह मुर्डिया, निवासी चन्द्रलोक होटल, उदयपुर।

96. श्री मुश्ताक हुसैन पिता श्री सैफुद्दीन मसरकवाला, निवासी उदयपुर।

97. श्री मुश्ताक हुसैन पिता श्री मोहम्मद हुसैन ओड़ावाला, निवासी बोहरावाड़ी, उदयपुर।

98. श्रीमती कुसुम पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण छापरवाल, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

99. श्रीमती कुसुम भटनागर पत्नि श्री सुभाष भटनागर, निवासी गणेशघाटी, उदयपुर।

100. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री रामचन्द्र छापरवाल, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

101. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

102. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर।

103. श्री प्रमोद पिता श्री अशोक कुमार, नि. उदयपुर।

104. श्री बाबुलाल पिता उदयलाल पुरोहित, नि. उदयपुर।

105. श्रीमती सोसरदेवी पत्नि श्री छगनलाल जी दायमा, निवासी खटीकवाड़ा, आयड़, उदयपुर।

106. श्री भंवरलाल पिता श्री भीखा लौहार, निवासी कंधारिया, तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर।

107. श्री ललित पिता श्री पन्नालाल माली, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

108. श्री रामावतार सिंह पिता हकीम सिंह सिसोदिया, निवासी 86, सुथारवाड़ा, उत्तरी आयड़, उदयपुर।

109. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री केशुदास वैष्णव, निवासी, उत्तरी आयड़, उदयपुर।

110. श्री जयन्तीलाल जैन पिता श्री चम्पालाल जैन, निवासी, उत्तरी आयड़, उदयपुर।

111. श्री मोतीराम पिता श्री कोलाराम मेघवाल, निवासी मकान नम्बर 40, नान्देश्वर कॉलोनी, पहाड़ा, उदयपुर।

112. श्री मोहनलाल पिता श्री जीतमल दायमा, निवासी पहाड़ा, गणेशनगर, उदयपुर।

113. श्री ओमप्रकाश पिता श्री नारायण लाल पालीवाल, निवासी 1208, कालका माता मन्दिर के पास, गणेशनगर, उदयपुर।

114. श्रीमती मंजूदेवी पत्नि श्री बंशीलाल ब्राहम्ण, निवासी चाटियाखेडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

115. श्री मांगीलाल पिता अमराराम पंवार, निवासी होम साईन्स कॉलेज, युनिवर्सिटी केम्पस, उदयपुर।

116. श्री राजेन्द्र पिता श्री चम्पालाल जैन, निवासी गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा	– वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा	– वकील रेस्पोडेंट संख्या–8, 21, 31, 36 से 38, 40, 41, 53, 55, 55 से 65, 67, 71 से 74, 78, 79, 82, 84, 103, 106, 108 से 116
3. श्री पंकज भटनागर	– वकील रेस्पोडेंट संख्या–99
4. श्री एन.एस.चुण्डावत	– वकील रेस्पोडेंट संख्या–101

अपील अन्तर्गत धारा 90–क एवं 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या नियमन/नविप्र/2004/1195 से 1198 दिनांक 27.10.2004

निर्णय

दिनांक 06.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90–क एवं 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या नियमन/नविप्र/2004/1195 से 1198 दिनांक 27.10.2004 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा आयड पटवार क्षैत्र आयड़, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 472, 473, 474, 475 मी., 477/2642, 481/260 कुल किता 7 रकबा 1.0450 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिसे रेस्पोडेटस कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी

एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में प्रस्तुत किया। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुरद्वारा उक्त आराजीयात की भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 27.10.2004 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंटस (उंपरोक्तानुसार) उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आराजीयात में जो भूमि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 90 से 100 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख से उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्री रतनसिंह तथा श्री इन्दरसिंह, निवासीयान 82 पंचवटी, उदयपुर से अलग–अलग विलेख से दिनांक 30.06.1982 से क्रय कर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 90 से 100 में आपस इकरार निष्पादन कर आवासीय कॉलोनी के रूप में भुखण्ड काटकर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकार्ड मे नामान्तकरण नहीं खुलवा पाये तो पूर्व विक्रेता श्री रतनसिंह व श्री इन्दरसिंह के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित थी, जो उन्होनें जालसाजी एवं कपटतापूर्वक आशय से अवैध लाभ प्राप्त करने के गरत से उक्त भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 50 को तीन अलग–अलग नुमाईशी विक्रय विलेख से विक्रय कर दी और उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र से उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 50 के नाम दर्ज हुई और उन्होनें उनमें से कुछ लोगों को पुनः उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 50 से 89 को विक्रय कर दी और उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र से उनका भी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया और नुमाईशी नाम राजस्व रेकार्ड के दर्ज होने से उक्त भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 101 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के यहा सरेन्डर कर दी और सरेंडर कर उसकी 90बी करवा ली जबकि उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी एवं खांतेदार काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 89 नहीं थे, बावजुद इसके उक्त भूमि उनके नाम 90बी की कार्यवाही कर दी गई जो विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त के है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि उनके पूर्व के खातेदार श्री रतनसिंह व इन्दरसिंह से दिनांक 30.06.1982 से क्रय किये जाने उपरान्त विक्रेताओं को कोई भी हक हिस्सा नहीं रहा था और न ही उनको उक्त भूमि पुनः विक्रय करने का हक व अधिकार था। बावजुद उन्होनें पुनः नया विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1991 निष्पादित किया जिसके नामान्तरकरण संख्या 501, 502 व 503

तस्दीक किये। तत्पश्चात रेस्पोडेंट 101 के यहा सरेण्डर कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 101 ने भी अन्य रेस्पोडेंट के जाली एवं नुमाईशी दस्तावेजों के आधार पर एवं कयासी आधारों पर विश्वास कर उक्त भूमि की 90बी कार्यवाही कर दी। यह दस्तावेज विधिक रूप से शुन्य दस्तावेज थे ऐसे दस्तावेजों के आधार पर विधिक कार्यवाही की विधि की दृष्टि से प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित है कि सबसीक्वेन्ट सेल डीड प्रारम्भ से शुन्य एवं निष्प्रभावी है और उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई हक, हित व अधिकार स्वत्व उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रथम विक्रय पत्र अपीलान्टगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है तथा द्वितीय विक्रय पत्र रेस्पोडेंट के नाम निष्पादित किया गया है जो टी.पी. एक्ट की धारा 48 के तहत शुन्य व निष्प्रभावी है एवं उसके वाद उसके आधार पर की गई कार्यवाहीयां भी शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उनके हक हित अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रथम क्रेतागण को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में ज्योही शुन्य दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेंट ने भूमि समर्पण की और उसके आधार पर प्राधिकृत अधिकारी ने कार्यवाही की चाहे वहां अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे ज्याही अपीलान्टगण ने उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकले निकलवाई तो उक्त आदेश तुरन्त ही 90–बी(3) का न हो 90–बी(5) में परिवर्तित हो गया, जिस हेतु प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से धारा 91 जा.दी. के तहत न्यायालय परमिशन प्राप्त की प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश शुन्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेजों के आधार पर पारित किया है इसलिए उसे निरस्त किया जावें और अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टगण को सुनकर नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेटस् का यह कहना कि उक्त आदेश 90बी(3) में आता है जो पूर्णतया विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि 90बी(3) के आदेश को जैसे ही चेलेन्ज किया जाता है तो वह 90बी(5) में परिवर्तित हो जाता है और उसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे तो पुनः अपीलान्ट को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित करना होता है। इस प्रकार विधिक रूप आदेश 90बी(3) की परिधि में नहीं होकर 90बी(5) की परिधि में आता है जिससे उक्त आदेश अपील योग्य है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का संलग्न कर कथन किया कि विधि में ऐसे शुन्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेजों के आधार पर की गई कार्यवाही को किसी भी समय किसी भी स्तर पर उसे चेलेन्ज किया जा सकता है। ऐसे मामलों में मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के तन्हा स्वामी काश्तकार है। शुन्य दस्तावेज के आधार पर उनके उनकी भुमि से महरूम नहीं किया जा सकता है और उसकी अनुपस्थिति में उनकी भुमि का 90बी की कार्यवाही एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई जो पूर्णतया शुन्य

है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2004 को निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध कर अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–RRD 1979 P.1, RRD 1989 P 572, 2006(1) RRT 434, RRT 2005 (1) P 359, RRT 2004 (1) P. 470, RRD 1993 P. 411] 2004(3) SCC P. 706, 2007 (1) RRT 728, RRD 1996 P. 457, 2009 (6) SCC P. 194, 2006(4) RLW P. 2865, 2008(1) RRT 1406, 2008(2) RRT 1442.

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् श्री सम्पतलाल बोहरा के अपनी बहस में बताया कि कथित जमीन रेस्पोडेंटस् के खातेदारी की होकर वही मालिक काबिज है तथा उन्होनें अपनी जमीन को सरेंडर करते हुए धारा 90बी(3) के तहत आदेश पारित करने का निवेदन किया जिस पर रेस्पोडेंटस ने अपने खातेदारी अधिकारों का समर्पण पत्र पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए धारा 90बी(3) के तहत समर्पण स्वीकार किया गया। तथाकथित भूमि को यूआईटी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। कथित आदेश के पूर्व दो–दो अखबारों में आपत्तियां आमत्रिंत की गयी परन्तु किसी की आपत्ति नहीं आने पर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने समर्पण स्वीकार करते हुए धार 90बी(3) के तहत आदेश पारित किया यह आदेश धारा 90बी(5) का नहीं है क्योंकि 90बी(1) के तहत कार्यवाही की जाती है तभी 90बी(5) के तहत आदेश पारित किया जा सकता है, परन्तु इस मामलें में तो रेस्पोडेंट खातेदार ने तो अपने खातेदारी अधिकारों का धारा 90बी(3) के तहत समर्पण पत्र पेश किया तथा आपत्तियां मागनें के बाद कथित समर्पण पत्र स्वीकार कर धारा 90बी(3) के तहत आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध धारा 90बी(7) में अपील लाई नहीं होती है। यह अपील इसी बिन्दु के आधार पर काबिल निरस्त के है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित है कि धारा 90बी(3) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील लाई नहीं होती है। अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है वह हितबद्ध पार्टी नहीं है तथा अपने हक अधिकारों को तय करावें तथा अपने आपको खातेदार घोषित करावें उसके बाद ही अपील पेश की जा सकती है। यह अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है इस कारण यह अपील मयाद बाहर होने से इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। अन्त में विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् द्वारा अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2004 यथावत रखे जाने का अनुरोध कर अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–RLW 1987 P 524, RLW 1973 P 687, RLW 1977 P. 124, AIR 1973 SC P. 655, AIR 1973 SC P. 204.

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–101 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90–बी की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया

गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है एवं तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि उपरोक्त आराजीयात में जो भूमि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 90 से 100 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख से उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्री रतनसिंह तथा श्री इन्दरसिंह, निवासीयान 82 पंचवटी, उदयपुर से अलग–अलग विलेख से दिनांक 30.06.1982 से क्रय कर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 90 से 100 में आपस इकरार निष्पादन कर आवासीय कॉलोनी के रूप में भुखण्ड काटकर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकार्ड मे नामान्तकरण नहीं खुलवा पाये तो पूर्व विक्रेता श्री रतनसिंह व श्री इन्दरसिंह के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित थी, जो उन्होनें रेस्पोडेंट संख्या 1 से 50 को तीन अलग–अलग नुमाईशी विक्रय विलेख से विक्रय कर दी और उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र से उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 50 के नाम दर्ज हुई और उन्होनें उनमें से कुछ लोगों को पुनः उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 50 से 89 को विक्रय कर दी और उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र से उनका भी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया और नुमाईशी नाम राजस्व रेकार्ड के दर्ज होने से उक्त भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 101 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के यहा सरेन्डर कर दी और सरेंडर कर उसकी 90बी करवा ली जबकि उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी एवं खातेदार काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 89 नहीं थे, बावजुद इसके उक्त भूमि उनके नाम 90बी की कार्यवाही कर दी गई जो विधि विरूद्ध है। दौराने बहस एवं अपीलीय प्रक्रिया के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा धारा 90बी(3), 90बी(5) एवं टीपी एक्ट की धारा 48 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिससे प्रकरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रथम विक्रय, द्वितीय विक्रय एवं उत्तरोतर कार्यवाही की ओर ध्यान आकृष्ट कर वस्तुस्थिति के सम्बन्ध उपरोक्तानुसार कथन किये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 27.10.2004 पारित किये जाने पूर्व उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं विभिन्न विधिक प्रावधानों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया परिक्षण, विश्लेषण एवं जांच नहीं की गई।

ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 27.10.2004 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों के मद्देनजर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 06.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर